सत्यमेव जयते
Ministry of Education
Government of India

भारतीय ज्ञान परंपरा (भाज्ञाप) प्रभाग प्रशिक्षुता कार्यक्रम 2022-2023

आवेदन एवं निर्देश

स्मरणीय तिथियां

प्रशिक्षुता कार्यक्रम की घोषणा	जून 14, 2022
मार्गदर्शक आवेदन तिथि	जून 25, 2022
मार्गदर्शक परियोजना चयन की घोषणा	जून 27, 2022
प्रशिक्षुता आवेदन आरम्भ तिथि	जून 27, 2022
प्रशिक्षुता आवेदन अंतिम तिथि	जुलाई 8, 2022
प्रशिक्षुता चयन की घोषणा	जुलाई 13, 2022
प्रशिक्षुता प्रारम्भ	जुलाई 15, 2022
प्रगति प्रतिवेदन (रिपोर्ट) देय	अगस्त 15, 2022
अंतिम प्रतिवेदन देय	सितंबर 15, 2022
प्रशिक्षुता आवेदन - पूरक, आवेदन तिथि	जुलाई 13, 2022
प्रशिक्षुता आवेदन - पूरक, अंतिम तिथि	जुलाई 16, 2022
प्रशिक्षुता चयन - पूरक, घोषणा	जुलाई 18, 2022
प्रशिक्षुता - पूरक, प्रारम्भ	जुलाई 18, 2022
प्रगति प्रतिवेदन (रिपोर्ट) - पूरक, देय तिथि	अगस्त 18, 2022
अंतिम प्रतिवेदन - पूरक, देय तिथि	सितंबर 18, 2022

कृपया शंका समाधान हेतु भाज्ञाप दल से संपर्क करें (coiks@aicte-india.org)

भाज्ञाप प्रभाग के सम्बन्ध में

विश्व की सर्वाधिक पुरातन एवं सततरूप से जीवित सभ्यता का घर भारतीय उपमहाद्वीप, अधिकांश ज्ञात इतिहास के लिए ज्ञान एवं निर्माण का वैश्विक शक्ति केंद्र था। एक धार्मिक संस्कृति जिसने मानवता के सभी आयामों के विकास पर बल दिया, जिसमें स्वयं, अपने पर्यावरण एवं विस्तृत ब्रह्मांड के साथ सद्भाव में रहने पर बल दिया गया। विश्व भर के सामयिक घटनाक्रम भलीभांति स्पष्ट कर रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रतिरूप स्थिर नहीं हैं एवं प्रकृति के विरुद्ध प्रत्यक्ष संघर्ष की स्थिति में हैं। पूंजीवादी व्यवस्थाओं के कारण विश्व भर में बढ़ती असमानताएं एवं साम्यवाद/समाजवादी अर्थशास्त्र की विफलता, विकास के नए प्रतिमानों की प्रबल आवश्यकता की ओर इंगित करती है।

एकमात्र भारतीय पद्धति ही है जो स्थिरता का मार्ग प्रशस्त करती है तथा सभी का कल्याण करने वाली है। यदि हम इस शताब्दी में ज्ञान नायक एवं 'विश्व गुरु' बनना चाहते हैं, तो नितांत आवश्यक है कि हम अपनी विरासत को भलीभांति जाने तथा 'भारतीय पद्धति' नामक सूत्र से सभी को अवगत कराएं। इसी दृष्टिकोण के साथ अभातशिप (एआईसीटीई) में शिक्षा मंत्रालय के भारतीय ज्ञान परम्परा प्रभाग की स्थापना की गई थी जो ***भारतीय ज्ञान परम्परा (भाज्ञाप) के सभी पक्षों पर अंतर्विषयक एवं संघीय-अंतर्विषयक (ट्रांस इंटरडिसिप्लिनरी) अनुसंधान को बढ़ावा देने, आगामी शोध एवं सामाजिक अनुप्रयोगों के निमित्त भाज्ञाप से सम्बद्ध ज्ञान का संरक्षण एवं प्रसार का करेगा।***

भाज्ञाप प्रभाग के कार्य

1) विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों सहित भारत तथा विदेशों में विभिन्न संस्थानों द्वारा किए गए अंतर्विषयक कार्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना एवं इसे सुगम करना।

2) संस्थानों, केंद्रों तथा व्यक्तिगत रूप से शोधरत, शोधकर्ताओं को सम्मिलित करते हुए विषयवार अंतर्विषयक अनुसंधान समूहों की स्थापना, मार्गदर्शन एवं निरीक्षण करना।

3) लोकप्रचार योजनाओं का निर्माण एवं प्रोत्साहन देना।

4) विभिन्न परियोजनाओं के वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करना एवं अनुसंधान करने हेतु तंत्र विकसित करना।

भाज्ञाप प्रशिक्षुता कार्यक्रम की समीक्षा

देश में स्थित पारंपरिक विद्यालयों एवं विप्रौअभिग (विज्ञान प्रौद्योगिकी अभियांत्रिकी गणित/ एसटीईएम) शैक्षणिक संस्थानों में भाज्ञाप को बढ़ावा देने की महती आवश्यकता है, जिसे इस उपक्रम के द्वारा संबोधित किया जाएगा। ***भाज्ञाप प्रशिक्षुता कार्यक्रम युवाओं को भाज्ञाप से संबंधित विभिन्न विषयों के गहन अध्ययन हेतु प्रोत्साहन एवं उत्साह जागृत करने के उद्देश्य से परिकल्पित किया गया है।*** छात्रों के

लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय या वर्ष में किसी भी समय सक्रिय अनुसंधान में योगदान करने एवं सम्मिलित होने के अवसर उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रशिक्षुता हेतु देशव्यापी एवं मुक्त आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदनपत्र आमंत्रित किये जाते हैं। चयनित छात्रों को यथा-संभव भाज्ञाप में उनकी रुचि के अनुरूप भाज्ञाप विशेषज्ञों के साथ जोड़ा जाएगा। प्रशिक्षुओं से लघु अनुसंधान परियोजनाओं, गतिविधियों/कार्यशालाओं आदि पर कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, जैसा कि विशेषज्ञों से परामर्श के आधार पर भाज्ञाप प्रभाग द्वारा सुझाया गया है।

प्रशिक्षु द्वारा प्रस्तुतकी गई एवं मार्गदर्शक की प्रतिक्रिया आधारित की मासिक प्रतिवेदन (रिपोर्ट) के माध्यम से प्रशिक्षुता कार्यक्रम की प्रगति पर भी दृष्टि रखी जाएगी। प्रशिक्षु अपनी प्रशिक्षुता के अंत में एक व्यापक परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। प्रशिक्षुओं को विशेषज्ञों के साथ नियमित रूप से कार्य करने एवं प्रशिक्षुता कार्यक्रम के पूर्ण होने के उपरांत भी परस्पर सहयोग के माध्यम से अनुसंधान के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। भाज्ञाप समुदाय के मध्य परिणामों को प्रसारित करने के सहायतार्थ समस्त प्रशिक्षु विवरणों को भाज्ञाप प्रभाग की वेबसाइट पर एक अन्वेषणीय आँकड़ाकोष (डेटाबेस) में रखा जाएगा।

पात्रता: भारत के पारंपरिक या नियमित शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाला कोई भी छात्र प्रशिक्षुता का पात्र है। छात्रों की आयु 18-28 वर्ष के मध्य होना चाहिए तथा उनके पास वित्त लेखा (बैंक अकाउंट) होना आवश्यक है। पूर्व में आईकेएस प्रशिक्षुता कार्यक्रम का भाग रह चुके प्रशिक्षु आवेदन के पात्र नहीं होंगे।

समर्थन प्रक्रिया: प्रत्येक प्रशिक्षु को वर्तमान अभातशिप (एआईसीटीई) मानदंडों के अनुसार दो महीने की अवधि के लिए एक प्रशिक्षुता वृत्ति (दो महीने के लिए ₹ 10,000 प्रति माह + यात्रा एवं अन्य विविध व्यय हेतु कुल ₹ 5,000 अथवा अधिकतम 25,000 प्रति दो माह की प्रशिक्षुता) से सम्मानित किया जाएगा।

मार्गदर्शकों हेतु दिशानिर्देश

उपरोक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हमें ऐसे परामर्शदाता शिक्षक, प्राध्यापक या आचार्य की आवश्यकता है जो व्यावहारिक विषयों के साथ-साथ भाज्ञाप सम्बंधित विषयों से भी भली-भाँति परिचित हों। मार्गदर्शक केवल भाज्ञाप के क्षेत्र से भी जुड़े हो सकते हैं। प्रशिक्षुता का विषय नीचे दी गई तालिका में सूचीबद्ध 20 विषयों में से किसी पर भी हो सकता है। परामर्शदाता अपनी विशेषज्ञता के अनुसार अन्य भाज्ञाप क्षेत्रों को भी चुन सकते हैं किन्तु क्षेत्र भाज्ञाप से सम्बद्ध होना चाहिए। प्रशिक्षुओं की संख्या का चयन करते समय कृपया सुनिश्चित करें कि आपका बहुमूल्य समय निश्चित रूप से उनके लिए उपलब्ध होगा।

परामर्शदाताओं से अपेक्षा

परामर्शदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रति सप्ताह 3-4 घंटे या उससे अधिक दे सकेंगे, जो कि छात्रों को भाज्ञाप का ज्ञान कराने एवं इस हेतु आवश्यक साहित्य संदर्भ खोजने एवं प्रदान करने के लिए आवश्यक है। प्रशिक्षुता परियोजना की आवश्यकतानुसार साहित्य खोज, अनुसंधान एवं क्षेत्र का दौरा करने

के लिए परामर्शदाता प्रशिक्षुओं के साथ मिलकर कार्य करेंगे। प्रतिवेदन (रिपोर्ट) में जानकारी की तथ्यात्मक शुद्धता हेतु, परामर्शदाता प्रगति प्रतिवेदन एवं अंतिम प्रतिवेदन के संपादन में प्रशिक्षुओं की सहायता करेंगे। यदि प्रशिक्षु निर्दिष्ट कार्य का निष्पादन नहीं करते हैं तो परामर्शदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे संबन्धित विवरण ईमेल के द्वारा भाज्ञाप प्रभाग को भेजेंगे ताकि प्रशिक्षुता समाप्ति सहित आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

परामर्शदाता सम्मान

परामर्शदाता ही मुख्य रूप से भाज्ञाप प्रशिक्षुता कार्यक्रम की सफलता के मुख्य सूत्रधार हैं। हमारी युवा पीढ़ी को भारतीय ज्ञान परंपरा का ज्ञान कराने हेतु निःस्वार्थ भाव से अपना मूल्यवान समय देने एवं उत्तम प्रयासों के लिए हम आपकी उत्साही प्रवृत्ति का अतीव सम्मान एवं सराहना करते हैं। परामर्शदाताओं को भाज्ञाप प्रभाग द्वारा संपादित प्रमाणपत्र के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। भाज्ञाप प्रभाग की वेबसाइट पर परामर्शदाताओं के नाम भी प्रदर्शित किए जाएँगे।

1. परामर्शदाता को निर्धारित समय सीमा में अपनी विशेषज्ञता, परियोजना का विवरण (500-शब्दों में; कृपया नीचे देखें), प्रशिक्षु की न्यूनतम योग्यता, प्रशिक्षु में कोइ वाँछित कौशल आदि के विवरण के साथ **गूगल** फॉर्म को पूर्ण करना होगा।
2. परियोजना विवरण: परियोजना विवरण में विषय की एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि, भाज्ञाप प्रभाग के अभियान के प्रति प्रासंगिकता, स्पष्ट एवं विशिष्ट लक्ष्य, स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया मापनीय परिणाम तथा प्रशिक्षु द्वारा परियोजना को पूर्ण करने हेतु अपेक्षित घंटों की संख्या सम्मिलित होनी चाहिए। स्पष्ट लक्ष्य तथा विशिष्ट मापनीय परिणामो वाली परियोजनायें, जो भाज्ञाप क्षेत्र के लिए प्रासंगिक हैं, उनको चयन में वरीयता दी जाएगी। परियोजना विवरण 500 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए और इसे किसी भी भारतीय भाषा में प्रस्तुत किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि यह विवरण प्रशिक्षु के साथ साझा किया जाएगा।
3. पूरा होने के बाद, परामर्शदाता द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं का मूल्यांकन भाज्ञाप के कार्यदल द्वारा आंतरिक रूप से किया जाएगा जिसमें देखा जायेगा कि प्रस्तुत परियोजना यहां प्रदान की गई 20 विषयवस्तुओं के साथ भली-भाँती मेल खाती है या नहीं। ***पर्याप्त भाज्ञाप सामग्री से रहित एवं उपरोक्त विषयों से केवल नाम मात्र का संबंध रखने वाली परियोजनाओं को अस्वीकार कर दिया जाएगा।***
4. चयनित परियोजनाओं को भाज्ञाप वेबसाइट पर प्रेषित किया जाएगा एवं प्रशिक्षुओं के मध्य इसका प्रसारण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तुतीकरण पत्र में निर्दिष्ट योग्यता को पूरा करने वाले प्रशिक्षुओं का लघुसूचीकरण किया जाएगा तथा परामर्शदाता प्रशिक्षु का अंतिम चयन करेंगे।
5. परियोजना को चयन करने का निर्णय प्राथमिक रूप से भाज्ञाप प्रभाग के लक्ष्य के लिए इसकी प्रासंगिकता के आधार पर किया जाएगा। जैसे कि परियोजना यहां बताए गए विषयगत क्षेत्रों के साथ कितने निकट से जुड़ी है एवं भाज्ञाप क्षेत्र में संरक्षक का पूर्व अनुभव।
6. ***परियोजना के चयन के संबंध में भाज्ञाप प्रभाग का निर्णय अंतिम होगा।***

7. किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में यदि प्रशिक्षुओं को परामर्शदाताओं नहीं मिलते हैं तो भाज्ञाप प्रभाग परामर्शदाताओं को खोजने का प्रयास करेगा।

8. परामर्शदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे संभावित प्रशिक्षुओं को आवेदन हेतु प्रेरित करेंगे।

टिप्पणी 1*

इस कार्यक्रम के विभिन्न प्रयोजनों हेतु भाज्ञाप को व्यवस्थित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसकी रचना भारतीय उपमहाद्वीप में सहस्राब्दियों से भारतीयों द्वारा की गयी है एवं मौखिक परंपराओं, पांडुलिपियों, ग्रंथों तथा पारंपरिक प्रथाओं के माध्यम से प्रसारित किया गया है। भाज्ञाप समस्त भारतीय भाषाओं में अनेकों रूपों में विद्यमान है। परियोजनाओं में पारंपरिक ज्ञान का सार्थक निवेश होना चाहिए। यहाँ सार्थक निविष्टि से तात्पर्य यह है कि परियोजना में भाज्ञाप से संबंधित साहित्य के प्राथमिक या माध्यमिक स्रोतों का अध्ययन सम्मिलित होना चाहिए। पूर्णरूप से आधुनिक ज्ञान प्रणालियों तथा आधुनिक वैज्ञानिक विधियों एवं विश्लेषण पर आधारित परियोजनायें भाज्ञाप परियोजनाओं के रूप में मान्य नहीं है। यद्यपि, भाज्ञाप साहित्य का अध्ययन करने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक विश्लेषण एवं उपकरणों के उपयोग को अत्यधिक प्रोत्साहित किया जाता है। विशिष्ट उदाहरणों के लिए नीचे दी गई तालिका 2 देखें।

तालिका 1. विषयगत क्षेत्र- भाज्ञाप प्रशिक्षुता

विषयगत क्षेत्र	
1. वेद एवं उपवेद (उदाहरण के लिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, आदि) 2. दर्शन (उदा. 6 आस्तिक एवं 6 नास्तिक दर्शन) एवं शास्त्र (न्याय, व्याकरण, नाट्य, संगीत, जल, खनि, आदि) 3. साहित्य एवं कला (उदा. थिरुकुर्रल, मेघदूतम, अवधान, नृत्य, चित्र, वाद्य एवं कलारिपयट्टू आदि) 4. समग्र चिकित्सा एवं कल्याण (सिद्ध, आयुर्वेद, यूनानी, चरक संहिता, अगस्त्य हृदयम एवंअष्टांग हृदयम आदि) 5. भारतीय मनोविज्ञान एवं योग (उदा. पतंजलि योगसूत्र) 6. अर्थशास्त्र, शासन एवं राजनीतिक प्रणालियों के लिए भाज्ञाप आधारित दृष्टिकोण (उदा. चाणक्य अर्थशास्त्र, विदुर नीति, धर्म शास्त्र, आदि) 7. ज्ञान प्रतिमानों पर भाज्ञाप आधारित दृष्टिकोण (उदा. तंत्र युक्ति) 8. भारतीय गणित, क्षेत्रमिति एवं खगोल विज्ञान (उदा. आर्यभटीय, बीजगणित, लीलावती, जैन गणित, आदि) 9. प्रेक्षणात्मक खगोल विज्ञान एवं पंचाङ्ग प्रणाली (पंचाङ्ग, ज्योतिष, सूर्यसिद्धांत, गृहलाघव एवं सिद्धांत दर्पण आदि)	10. नौका निर्माण, नौवहन एवं समुद्री परंपराएं (उदा. युक्तिकल्पतरु, जातक कहानियां, संगम साहित्य, समरांगणसूत्रधारा आदि) 11. भारत में रसायन विज्ञान (उदा. रसरत्नकर, रसरत्न समुच्चय, रसचिंतामणि आदि) 12. भारत में भौतिकी (उदा. वैशेषिक) 13. वास्तुशिल्पीय अभियांत्रिकी, नगरीय नियोजन, सिविल अभियांत्रिकी, वास्तु एवं शिल्प शास्त्र (पूर्व नारद शिल्प शास्त्र, समरांगण सूत्रधारा, मयमतम् आदि) 14. चिरकालिक कृषि एवं खाद्य संरक्षण विधियां (उदा. कृषि पाराशर, विश्ववल्लभ एवं वृक्षायुर्वेद आदि) 15. जल संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन के लिए भाज्ञाप आधारित दृष्टिकोण (उदा. बृहदसंहिता) 16. जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए भाज्ञाप आधारित दृष्टिकोण 17. नवीन पदार्थ, धातु विज्ञान एवं पदार्थ विज्ञान (उदा. मनसोल्लास, युक्तिकल्पतरु, रसरत्नकर, रसचिन्तामणि आदि) 18. पांडुलिपियों का संरक्षण एवं प्रलेखीकरण (डॉक्यूमेंटेशन)

परियोजनाओं के लिए दिशानिर्देश:

परियोजनाएं पूर्ण रूप से भाज्ञाप विषयों से संबंधित होनी चाहिए। परियोजना अवधि सुस्पष्ट होनी चाहिए जिसे प्रशिक्षुओं द्वारा दो महीने में पूरा किया जा सके। परियोजनायें स्पष्ट मात्रात्मक रूप से प्रदेय होनी चाहिए। सभी परियोजनाओं के लिए एक व्यापक प्रतिवेदन लिखना आवश्यक है। उन परियोजनाओं के लिए जिनमें प्रदर्शन कलाएं सम्मिलित हैं, एक व्यापक मल्टीमीडिया प्रलेखीकरण की अपेक्षा की जाती है।

तालिका 2. उदाहरण - एक परियोजना भाज्ञाप के परिपेक्ष्य में योग्य है अथवा अयोग्य ?

भाज्ञाप परियोजना है	भाज्ञाप परियोजना नहीं है
पुरातन सेतु/दुर्ग/मंदिरों में प्रयुक्त वज्र विलेप्य (मोर्टार) संरचना का अध्ययन।	किसी निवास क्षेत्र में स्थित पुलों एवं जहाजों का अध्ययन।
समुदायों में प्रचलित जल उपचार विधियों का प्रलेखीकरण एवं मूल्यांकन।	किसी नदी में प्लास्टिक प्रदूषण आदि का अनुवीक्षण करना।
वर्तमान सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु चाणक्य के अर्थशास्त्र की उपयुक्तता एवं प्रयोज्यता का अध्ययन।	एडम स्मिथ या एमएमटी के आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन।
धोलवीर एवं लोथल में बंदरगाह निर्माण का अध्ययन एवं उन बंदरगाहों की क्षमता का आकलन।	एक बंदरगाह में जहाजों का अध्ययन।
छात्रों की संज्ञानात्मक क्षमताओं पर संस्कृत शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन।	यह देखने के लिए विद्यालयों का भ्रमण करना कि संस्कृत शिक्षा कैसे प्रदान की जाती है।
वर्तमान सामाजिक संदर्भ के लिए एक पुराण में शब्दों के प्रासंगिक एवं व्युत्पत्ति संबंधी अर्थों की पहचान करना (उदा. धर्म, न्याय, पाप, पुण्य)।	एक पुराण में शब्दों (जैसे धर्म, न्याय, पाप, पुण्य) की घटनाओं की गणना करना

प्रशिक्षुओं के लिए दिशानिर्देश

<u>प्रशिक्षुओं से अपेक्षाएं:</u>

भाज्ञाप परियोजना पर कार्य करते समय प्रशिक्षुओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्य एवं परामर्शदाता के प्रति पूर्ण सत्यनिष्ठा रखेंगे। विषय का व्यापक ज्ञान विकसित करने हेतु प्रशिक्षुओं से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रशिक्षुता अवधि में समय का कुशलता पूर्वक उपयोग करेंगे। प्रशिक्षुओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने प्रगति प्रतिवेदन एवं अंतिम प्रतिवेदन का प्रारूप सिद्ध (रेडी) कर न्यूनतम एक या दो सप्ताह पूर्व ही अपने परामर्शदाता को प्रस्तुत करेंगे जिससे कि आलोचनात्मक समीक्षा के लिए पर्याप्त समय मिल सके। प्रशिक्षुओं से अपेक्षा की जाती है कि वे सामाजिक प्रसार माध्यमों (फेसबुक/यूट्यूब) पर आम उत्सुक दर्शकों के लिए अपनी परियोजना पर लेख आदि लिखेंगे।

<u>प्रस्तुतीकरण एवं चयन प्रक्रिया:</u>

1. इस प्रपत्र के अनुलगनक 1 में से एक परामर्शदाता का चयन करें, जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं।
2. एक भारतीय भाषा इंगित करें जिसे आप बोल, पढ़ एवं लिख सकते हैं। प्रशिक्षुता मुख्य रूप से इसी भाषा में आयोजित की जाएगी। कृपया ध्यान दें कि प्रशिक्षु एवं परामर्शदाता के मध्य न्यूनतम एक उभयनिष्ट भारतीय भाषा का होना चयन मानदंडों में से एक है। एक बार भाषा चयन करने के उपरांत, प्रशिक्षुता अवधि में आप भाषा परिवर्तन नहीं कर सकते।
3. समय सीमा के अन्दर अपना आवेदन आईकेएस इंडिया की वेबसाइट पर प्रस्तुत करें।
4. चयन प्रक्रिया भाज्ञाप प्रभाग द्वारा संपादित की जाएगी जो कि न्यूनतम योग्यता, विशेषज्ञों एवं आवेदकों की रुचियों के मिलान, किसी भारतीय भाषा की समानता, छात्र एवं परामर्शदाता का स्थान एवं छात्रों को वित्त पोषण उपलब्ध कर सकने की क्षमता पर आधारित होगी।
5. ***चयन प्रक्रिया एवं परियोजनाओं के आवंटन में आईकेएस प्रभाग का निर्णय अंतिम होगा।***

<u>प्रशिक्षुता अवधि में :</u>

1. प्रपत्र के प्रथम पृष्ठ पर अंकित समय सीमा के अनुसार आपको चयन की सूचना दी जायेगी।
2. प्रशिक्षुता हेतु परामर्शदाता के संस्थान या परियोजना स्थल पर भौतिक रूप से उपस्थित होना होगा।
3. अपने परामर्शदाता से संपर्क करें एवं उनके मार्गदर्शन में अपना कार्य प्रारम्भ करें।
4. एक महीने के अंत में एक प्रगति प्रतिवेदन बनायें (कृपया प्रारूप के लिए अनुलग्नक II देखें) और इसे ऑनलाइन प्रस्तुत करें। प्रथम माह की प्रशिक्षुता वृत्ति, प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त होने के के उपरांत देय होगी।
5. एक अंतिम प्रतिवेदन बनायें (कृपया प्रारूप के लिए अनुलग्नक III देखें) और इसे अपनी प्रशिक्षुता के अंत में प्रस्तुत करें। आपकी दूसरे माह की वृत्ति, विविध व्यय के साथ, विशेषज्ञ परामर्शदाता द्वारा समर्थित अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त करने के बाद देय होगी।
6. ***भाज्ञाप प्रभाग पहले माह के बाद संतोषजनक प्रगति नहीं होने पर वित्त पोषित नहीं करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।***

प्रशिक्षुता के सफल समापन एवं अंतिम प्रतिवेदन देने के उपरांत, छात्र को एमओई @ एआईसीटीई के भाज्ञाप प्रभाग द्वारा प्रशिक्षुता पूर्णता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा।

अनुलग्नक I

परामर्शदाताओं की अंतिम सूची यहां जोड़ी जायेगी

कृपया भारतीय विज्ञान परम्परा प्रभाग की लिंक पर जाएँ

:: Indian Knowledge Systems :: (iksindia.org)

अनुलग्नक II

भाज्ञाप प्रशिक्षुता, प्रगति प्रतिवेदन का प्रारूप

अंतिम प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य प्रशिक्षुता के दौरान किए गए कार्यों का प्रलेखीकरण करना है। प्रतिवेदन के माध्यम से यह विशेष रूप से ज्ञात होना चाहिए कि प्रशिक्षुता के दौरान किया गया कार्य भारतीय ज्ञान प्रणालियों के लिए क्यों और कैसे प्रासंगिक है,

प्रतिवेदन व्यापक रूप से विस्तारित होना चाहिए तथा भारतीय ज्ञान प्रणाली एवं वर्तमान ज्ञान के एकीकरण को व्यक्त करता हुआ होना चाहिए। एक विस्तृत पृष्ठभूमि, विधियों, प्रक्रियाओं, साहित्य समीक्षा एवं परिणामों की चर्चा प्रस्तुत की जानी चाहिए। संदर्भों और परिशिष्टों को छोड़कर प्रगति प्रतिवेदन का मुख्य भाग लगभग 2500 शब्द (लगभग 5-7 पृष्ठ, 12-बिंदु फ़ॉन्ट एकल स्पेसिंग में) होगा तथा इसमें किसी भी संख्या में आंकड़े या परिशिष्ट शामिल हो सकते हैं।

साहित्यिक चोरी से सम्बंधित महत्वपूर्ण टिप्पणी: किसी भी रूप में साहित्यिक चोरी कठोरत: वर्जित है। साहित्यिक चोरी की सामग्री वाले किसी भी प्रतिवेदन को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा एवं प्रशिक्षुता का अधिकार समाप्त करते हुए कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। हम प्रतिवेदन में साहित्यिक चोरी का पता लगाने हेतु टर्निटिन जैसे स्वचालित उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं।

प्रतिवेदन की संरचना निम्नानुसार होनी चाहिए:

शीर्षक पृष्ठ

- स्पष्ट, संक्षिप्त शीर्षक जो प्रतिवेदन के विषय का वर्णन करता है।
- लेखकों (प्रशिक्षु एवं परामर्शदाता) के नाम, संस्थान संबद्धता, एवं प्रकाशन तिथि स्पष्ट रूप से दर्शाई गई हो।
- कार्य भाज्ञाप प्रशिक्षुता कार्यक्रम के अंतर्गत किये जाने का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो।

विषय-सूची (यदि उपयुक्त हो)

- मुख्य अनुभाग तथा उप-अनुभाग में शीर्षकों का अंकन किया गया हो, एवं उनके पृष्ठ क्रमांक निर्देशित हों।
- दर्शाए गए आंकड़ों, तालिकाओं एवं परिशिष्टों की सूची, यदि उपयुक्त हो।

सार (एब्स्ट्रेक्ट)

_ प्रतिवेदन की मुख्य सामग्री सार में सन्निहित होना चाहिए, जिसमें उद्देश्य, प्रयोजन एवं प्रारंभिक परिणाम (250 शब्द) सम्मिलित हैं।

_ सार का एक आँग्ल अनुवाद भी प्रदान किया जाना चाहिए।

_ सार में कोई संदर्भ, निरर्थक जल्पना (गप), संक्षिप्त संकेताक्षर या परिवर्णी शब्द (एक्रोनिम्स) नहीं होना चाहिए।

परिचय

_ प्रतिवेदन, विषयवस्तु की यथास्थिति एवं परियोजना के औचित्य को स्थापित करता हो; इसके उद्देश्य एवं प्रयोजन के सार को व्यक्त करता हो; तथा परियोजना क्यों और कहाँ आयोजित की गई आदि स्पष्ट करता हो।

पृष्ठभूमि एवं/या प्रामाणिकता

_ भारतीय ज्ञान परम्परा के उस घटक का पूर्ण विस्तार से वर्णन कीजिए जिसका परीक्षण किया जा रहा है। (न्यूनतम 250 शब्द)

_ परियोजना द्वारा इंगित की गयी समस्या एवं परियोजना के उद्देश्यों एवं प्रयोजन का वर्णन करें। यदि उपयुक्त हो तो समस्या का आरेख सम्मिलित करें।

_ इस क्षेत्र में किए गए पूर्व अध्ययनों का वर्णन करें जो साहित्य में दर्शाए गए हैं। यदि कोई पूर्व अध्ययन आयोजित नहीं किया गया है, तो कृपया इसे स्पष्ट रूप से इंगित करें।

परियोजना का विवरण

_ परियोजना के स्थान एवं आकार के साथ-साथ इसके उपयुक्त स्तर पर विस्तारित होने की व्याख्या करता हो।

विधियाँ एवं/या प्रक्रियाएं

_ प्रयुक्त विधियों का एक संक्षिप्त, स्पष्ट विवरण प्रदान करती हों, विधियों के चयन के लिए तर्क, एवं विधियों के पीछे सिद्धांत, यदि उपयुक्त हो, स्पष्ट करती हों किन्तु कोई आँकड़े प्रस्तुत नहीं करती हों।

_ एकत्र किए गए आँकड़ों के प्रकार (प्रकारों) एवं उन्हें कैसे और क्यों एकत्र किया गया था, पर विशिष्ट जानकारी प्रदान करती हों किन्तु अध्ययन के संचालन में किए गए कार्यों का "चरणबद्ध" स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करती हों। इसके स्थान पर, पर्याप्त विवरण देना चाहिए जिससे पाठक आपके परिणामों की भली-भाँति विवेचना एवं पुनरावृत्ति कर सके।

परिणाम

_ परियोजना के वास्तविक परिणामों को स्पष्ट एवं संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करते हों; अन्य अध्ययनों के सिद्धांत, अभिप्राय एवं जानकारी से बचें।

_ परिणामों को एक व्यवस्थित रीति से प्रस्तुत करता हो, परियोजना के उद्देश्यों को निर्दिष्ट क्रम में प्रस्तुत करता हो, एवं परिणामों को परियोजना के उद्देश्यों से जोड़ता हो।

_ महत्वपूर्ण निष्कर्षों को स्पष्ट करने एवं संक्षिप्तीकरण हेतु, उपयुक्त तालिकाओं तथा आंकड़ों का उपयोग किया गया हो। तालिकाएँ एवं आँकड़े प्रतिवेदन पाठ्य में उचित स्थान पर, शीर्षक के साथ, क्रमांकित एवं उद्धृत किए जाने चाहिए। तालिकाएं एवं आंकड़े पर्याप्त रूप से पूर्ण होने चाहिए एवं पाठक को उन्हें समझने के लिए प्रतिवेदन के अन्य भागों से संदर्भ लेने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए।

चर्चा

_ परियोजना के परिणामों की स्पष्ट एवं संक्षिप्त व्याख्या प्रदान करता हो। प्रतिवेदन अवधारणाओं को इस प्रकार जोड़ता हो कि व्यक्तिगत परिणामों से भी बृहत्तर परिणामों की व्याख्या संभव हो सके।

_ परिणामों को परियोजना के उद्देश्यों एवं यदि उपयुक्त हो तो साहित्य सामग्री में दर्शाए गए पूर्व अध्ययनों से जोड़ता हो।

_ परिणामों को प्रभावित करने वाली अनिश्चितताओं एवं मान्यताओं पर चर्चा करता हो।

संदर्भ

_ प्रतिवेदन में उद्धृत समस्त साहित्यिक सामग्री की उचित रीति से आरूपण की गयी (फोर्मेटेड) सूची प्रस्तुत करता हो।

परिशिष्ट

_ आँकड़े, गणना, अन्य सहायक जानकारी, कार्य के प्रयोजन पर अतिरिक्त विवरण, प्रासंगिक पृष्ठभूमि की जानकारी तथा विधियों एवं प्रक्रियाओं को उपयुक्त रूप में सम्मिलित करें।

_ केवल उन परिशिष्टों को सम्मिलित करें जिन्हें प्रतिवेदन के मुख्य भाग में उद्धृत किया गया है।

_ केवल उन सामग्रियों को सम्मिलित करें जो प्रतिवेदन के मुख्य भाग को समझने के लिए आवश्यक नहीं हैं। सामग्री यदि प्रतिवेदन के मुख्य भाग को समझने के लिए आवश्यक है, तो उन्हें प्रतिवेदन के मुख्य भाग में ही सम्मिलित किया जाना चाहिए।

अनुलग्नक III

भाज्ञाप प्रशिक्षुता, अंतिम प्रतिवेदन का प्रारूप

अंतिम प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य प्रशिक्षुता के समय किए गए कार्य का प्रलेखीकरण करना है। प्रतिवेदन के माध्यम से यह विशेष रूप से ज्ञात होना चाहिए कि प्रशिक्षुता के दौरान किया गया कार्य भारतीय ज्ञान प्रणालियों के लिए क्यों और कैसे प्रासंगिक है।

प्रतिवेदन व्यापक रूप से विस्तारित होना चाहिए तथा भारतीय ज्ञान प्रणाली एवं वर्तमान ज्ञान के एकीकरण को व्यक्त करता हुआ होना चाहिए। निष्कर्ष एवं अनुशंसा के साथ एक विस्तृत पृष्ठभूमि, विधियों, प्रक्रियाओं, साहित्य समीक्षा एवं परिणामों की चर्चा प्रस्तुत की जानी चाहिए। संदर्भों एवं परिशिष्टों को छोड़कर अंतिम प्रतिवेदन का मुख्य भाग लगभग 8000 शब्दों (लगभग 16 पृष्ठ, 12-बिंदु फ़ॉन्ट एकल स्पेसिंग में) का होगा तथा इसमें किसी भी संख्या में आंकड़े या परिशिष्ट शामिल हो सकते हैं।

साहित्यिक चोरी से सम्बंधित महत्वपूर्ण टिप्पणी: किसी भी रूप में साहित्यिक चोरी कठोरत: वर्जित है। साहित्यिक चोरी की सामग्री वाले किसी भी प्रतिवेदन को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा एवं प्रशिक्षुता का अधिकार समाप्त करते हुए कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। हम प्रतिवेदन में साहित्यिक चोरी का पता लगाने हेतु टर्निटिन जैसे स्वचालित उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं।

प्रतिवेदन की संरचना निम्नानुसार होनी चाहिए:

शीर्षक पृष्ठ

_ स्पष्ट, संक्षिप्त शीर्षक जो प्रतिवेदन के विषय का वर्णन करता है।

_ लेखकों (प्रशिक्षु एवं परामर्शदाता) के नाम, संस्थान संबद्धता, एवं प्रकाशन तिथि स्पष्ट रूप से दर्शाई गई हो।

_ कार्य भाज्ञाप प्रशिक्षुता कार्यक्रम के अंतर्गत किये जाने का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो।

मौलिकता का प्रमाणपत्र

_ साहित्यिक मौलिकता तथा किसी प्रकार की चोरी न किए जाने से संबन्धित, लेखक एवं संरक्षक का प्रमाणीकरण अनिवार्य है।

_ इस पृष्ठ पर निम्नलिखित घोषणा (आईआईटी मुंबई की शोध-निबंध घोषणाओं पर आधारित) की जानी चाहिए तथा प्रशिक्षुओं द्वारा हस्ताक्षरित एवं परामर्शदाता द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। प्रतिवेदन में यह घोषणा सम्मिलित होनी चाहिए, अन्यथा स्वीकार नहीं किए जायेंगे। इस आवश्यकता का **कोई अन्य विकल्प मान्य नहीं होगा**।

"मैं घोषणा करता/करती हूँ कि यह प्रतिवेदन मेरे अपने शब्दों में मेरे विचारों का प्रतिनिधित्व करता है एवं यदि कहीं दूसरों के विचारों या शब्दों को सम्मिलित किया गया है, तो मैंने पर्याप्त रूप से मूल स्रोतों का संदर्भ देते हुये इसे भली-भांति उद्धृत किया है। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने में उपयोग किए गए सभी स्रोतों को उचित एवं सटीक रूप से अभिस्वीकृत किया है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने अकादमिक सच्चरित्रता एवं सत्यनिष्ठा के सभी सिद्धांतों का पालन किया है तथा मेरे प्रस्तुतीकरण में किसी भी विचार/आकड़े/तथ्य/स्रोत को अनुचित तरीके से प्रस्तुत, मनगढ़ंत या मिथ्यापूर्ण नहीं बनाया गया है। मैं समझता हूं कि उपरोक्त कोई भी उल्लंघन भाज्ञाप प्रभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई का कारण सिद्ध होगा एवं उन स्रोतों से दंडात्मक कार्रवाई का कारण भी हो सकता है जिनका उचित रूप से उल्लेख नहीं किया गया है या आवश्यकता होने पर उचित अनुमति नहीं ली गई हो।"

विषय-सूची (यदि उपयुक्त हो)

_ मुख्य अनुभाग तथा उप-अनुभाग में शीर्षकों का अंकन किया गया हो, एवं उनके पृष्ठ क्रमांक निर्देशित हों।

_ दर्शाए गए आंकड़ों, तालिकाओं एवं परिशिष्टों की सूची, यदि उपयुक्त हो।

सार (एब्स्ट्रेक्ट)

_ प्रतिवेदन की मुख्य सामग्री सार में सन्निहित होना चाहिए, जिसमें उद्देश्य, प्रयोजन एवं प्रारंभिक परिणाम (250 शब्द) सम्मिलित हैं।

_ सार का एक आँग्ल अनुवाद भी प्रदान किया जाना चाहिए।

_ सार में कोई संदर्भ, निरर्थक जल्पना (गप), संक्षिप्त संकेताक्षर या परिवर्णी शब्द (एक्रोनिम्स) नहीं होना चाहिए।

कार्यकारी सारांश

_ एक कार्यकारी सारांश, प्रतिवेदन के मुख्य विषयवस्तु की सामग्री एवं सारांश तालिकाओं तथा आंकड़ों के उपयुक्त विस्तार के साथ एक स्पष्ट एवं संक्षिप्त सारांश होगा। (सामान्यतः 1000-1500 शब्द)

_ सार का एक आँग्ल अनुवाद भी प्रदान किया जाना चाहिए।

_ सार में कोई संदर्भ, निरर्थक जल्पना (गप), संक्षिप्त संकेताक्षर या परिवर्णी शब्द नहीं होना चाहिए।

परिचय

_ प्रतिवेदन, विषयवस्तु की यथास्थिति एवं परियोजना के औचित्य को स्थापित करता हो; इसके उद्देश्य एवं प्रयोजन के सार को व्यक्त करता हो; तथा परियोजना क्यों और कहाँ आयोजित की गई आदि स्पष्ट करता हो।

पृष्ठभूमि एवं/या प्रामाणिकता

_ भारतीय ज्ञान परम्परा के उस घटक का पूर्ण विस्तार से वर्णन कीजिए जिसका परीक्षण किया जा रहा है। (न्यूनतम 500 शब्द)

_ परियोजना द्वारा इंगित की गयी समस्या एवं परियोजना के उद्देश्यों एवं प्रयोजन का वर्णन करें। यदि उपयुक्त हो तो समस्या का आरेख सम्मिलित करें।

_ इस क्षेत्र में किए गए पूर्व अध्ययनों का वर्णन करें जो साहित्य में दर्शाए गए हैं। यदि कोई पूर्व अध्ययन आयोजित नहीं किया गया है, तो कृपया इसे स्पष्ट रूप से इंगित करें।

परियोजना का विवरण

_ परियोजना के स्थान एवं आकार के साथ-साथ इसके उपयुक्त स्तर पर विस्तारित होने की व्यख्या करता हो ।

विधियाँ एवं/या प्रक्रियाएं

_ प्रयुक्त विधियों का एक संक्षिप्त, स्पष्ट विवरण प्रदान करती हों, विधियों के चयन के लिए तर्क, एवं विधियों के पीछे सिद्धांत, यदि उपयुक्त हो, स्पष्ट करती हों किन्तु कोई आँकड़े प्रस्तुत नहीं करती हों।

_ एकत्र किए गए आँकड़ों के प्रकार (प्रकारों) एवं उन्हें कैसे और क्यों एकत्र किया गया था, पर विशिष्ट जानकारी प्रदान करती हों किन्तु अध्ययन के संचालन में किए गए कार्यों का "चरणबद्ध" स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करती हों। इसके स्थान पर, पर्याप्त विवरण देना चाहिए जिससे पाठक आपके परिणामों की भली-भाँति विवेचना एवं पुनरावृत्ति कर सके।

परिणाम

_ परियोजना के वास्तविक परिणामों को स्पष्ट एवं संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करते हों; अन्य अध्ययनों के सिद्धांत, अभिप्राय एवं जानकारी से बचें।

_ परिणामों को एक व्यवस्थित रीति से प्रस्तुत करता हो, परियोजना के उद्देश्यों को निर्दिष्ट क्रम में प्रस्तुत करता हो, एवं परिणामों को परियोजना के उद्देश्यों से जोड़ता हो।

_ महत्वपूर्ण निष्कर्षों को स्पष्ट करने एवं संक्षिप्तीकरण हेतु, उपयुक्त तालिकाओं तथा आंकड़ों का उपयोग किया गया हो। तालिकाएँ एवं आँकड़े प्रतिवेदन पाठ्य में उचित स्थान पर, शीर्षक के साथ, क्रमांकित एवं उद्धृत किए जाने चाहिए। तालिकाएं एवं आंकड़े पर्याप्त रूप से पूर्ण होने चाहिए एवं पाठक को उन्हें समझने के लिए प्रतिवेदन के अन्य भागों से संदर्भ लेने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए।

चर्चा

_ परियोजना के परिणामों की स्पष्ट एवं संक्षिप्त व्याख्या प्रदान करता हो। प्रतिवेदन अवधारणाओं को इस प्रकार जोड़ता हो कि व्यक्तिगत परिणामों से भी बृहत्तर परिणामों की व्याख्या संभव हो सके।

_ परिणामों को परियोजना के उद्देश्यों एवं यदि उपयुक्त हो तो साहित्य सामग्री में दर्शाए गए पूर्व अध्ययनों से जोड़ता हो।

_ परिणामों को प्रभावित करने वाली अनिश्चितताओं एवं मान्यताओं पर चर्चा करता हो।

निष्कर्ष एवं/या अनुशंसा

_ प्रमुख निष्कर्षों को स्पष्ट रूप से सारांशित करने वाला उपसंहार प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

_ प्रतिवेदन में पूर्व में बताए गए परियोजना उद्देश्यों पर सीधी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करता हो।

_ परियोजना के परिणामों के आधार पर स्पष्ट अनुशंसा प्रदान करता हो, यदि उपयुक्त हो।

_ भावी कार्य का वर्णन करता हो, जिसे उपयुक्त होने पर किया जा सकता है।

आभारोक्ति

_ लेखकों के अतिरिक्त यदि अन्य व्यक्तियों द्वारा व्यापक तथा महत्वपूर्ण सहायता दी गई है, साथ ही यदि उपयुक्त हो, वित्त पोषण संस्थाओं से कोई सहायता ली गई है, तो इसकी आभारोक्ति की जानी चाहिए।

संदर्भ

_ प्रतिवेदन में उद्धृत समस्त साहित्यिक सामग्री की उचित रीति से आरूपण की गयी (फोर्मेटेड) सूची प्रस्तुत करता हो।

परिशिष्ट

_ आँकड़े, गणना, अन्य सहायक जानकारी, कार्य के प्रयोजन पर अतिरिक्त विवरण, प्रासंगिक पृष्ठभूमि की जानकारी तथा विधियों एवं प्रक्रियाओं को उपयुक्त रूप में सम्मिलित करें।

_ केवल उन परिशिष्टों को सम्मिलित करें जिन्हें प्रतिवेदन के मुख्य भाग में उद्धृत किया गया है।

_ केवल उन सामग्रियों को सम्मिलित करें जो प्रतिवेदन के मुख्य भाग को समझने के लिए आवश्यक नहीं हैं। सामग्री यदि प्रतिवेदन के मुख्य भाग को समझने के लिए आवश्यक है, तो उन्हें प्रतिवेदन के मुख्य भाग में ही सम्मिलित किया जाना चाहिए।